फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री कना गाडरी** | विपक्षी :– **राजस्थान राज्य वगैरह**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट | पत्रावली संख्या :– **45/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/167**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 15.10.2025 पत्रावली पेश हुई। राजपैरोकार उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं का नाम कन्हैयालाल पिता जयचन्द नाम गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राशनकार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्ड की प्रति, वोटर आईडी की फोटोप्रति, जनआधार कार्ड की फोटोप्रति, प्रार्थी स्वयं का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, प्रार्थी अपने भाई सहखातेदार कालु गायरी के शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम कना पिता जयचन्द होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार भी कना पिता जयचन्द एवं कन्हैयालाल पिता जयचन्द को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तवित नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी को ग्रामीण परिवेश में लोग कन्हैयालाल के नाम से पुकारते थे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में कन्हैयालाल अंकित हो गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कना है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:29:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता संख्या 77 पर दर्ज आराजी नम्बर 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400 किता 11 कुल रकबा 4.2734 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम कन्हैयालाल पिता जयचन्द के बजाय कना पिता जयचन्द संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:29:54 IST
Reason: SelfAttested